Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2019/00183

अदालत..... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम....... रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज.)

कल्लू बनाम सरकार

मुकदमा 136 LR Act .... नं. 12 .... सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.19	पत्रावली पेश। प्रकरण तहसीलदार रामगंज मण्डी के पत्र क्रमांक LR/19/41 दिनांक 3.1.19 के द्वारा प्राप्त हुआ। मिसल दर्ज हो। प्रकरण में कल्लू पुत्र कान्हा एवं मांगीलाल पुत्र कान्हा वगैरह द्वारा T.D.R. रा० मण्डी को निवेदन किया गया कि उनके खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम कमलपुरा में किता 8 की रकबा 3.81 हेक्टर भूमि स्थित है, जिसमें हम पक्षकारान की जाति भील के स्थान पर मीणा अंकित कर दी गई है, जिसे दुरुस्त किया जावे। प्रकरण में तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा समुचित रिपोर्ट एवं दस्तावेजात प्राप्त कर ग्राम कमलपुरा की भूमि आराजी नं. 129, 130, 131, 132, 133, 134 137 व 161 किता 8 रकबा 3.81 हेक्टर पर खातेदारान की जाति मीणा के स्थान पर भील (पुनः पूर्वानुसार) दर्ज करने की अभिशंषा की है अतः तहसीलदार रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा
	की अभिशंषा के आधार पर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम कमलपुरा की भूमि ख० नं० 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 161 कुल किता 8- रकबा 3.81 हेक्टर पर अन्य सहखातेदारान के साथ अंकित सहखातेदार कल्याणी D/o नाऊ, कल्लू S/o कान्हा, कंवरया S/o नारायणा, किशना S/o कंवरया, घांसी पुत्र नाऊ, छीतर पुत्र कान्हा एवं - मांगीलाल पुत्र कान्हा की जाति पूर्व-अनुसार भील दर्ज की जावे। अर्थात उक्त वर्णित सहखातेदारान की जाति रिकार्ड में मीणा की बजाय भील रिकार्ड में अंकित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार रामगंजमण्डी को दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली बाद तामील तकमील फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28/3/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। 28/3/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	